न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी, जिला–सवाई माधोपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी–श्री पंकज कुमार ओझा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
07/2018	04.07.2018	11.09.2019

राजस्थान सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सवाई माधोपुर

– आवेदक

बनाम

1. किरोड़ीलाल बजाज पुत्र श्री बद्रीलाल महाजन, जाति महाजन निवासी बजाज भवन कचहरी रोड, गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर (मालिक) मैसर्स बजाज एन्टरप्राईजेज बजाज भवन, कचहरी रोड, गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर –
2. नवीन कालरा निवासी 617 क्रास रोड माल सेन्ट्रल स्पाईन, विद्याधर नगर, जयपुर राजस्थान (प्रोपराईटर) मैसर्स सिद्धार्थ सेल्स बी 27 सेन्टर टावर सेन्ट्रल स्पाईन विद्याधर नगर, जयपुर।
3. मनोज कुमार पुत्र नवल किशोर निवासी मकान नंबर 78/1, वार्ड नंबर 11 कर्ण विहार करनाल, तहसील करनाल जिला करनाल हरियाणा (नोमिनी) गुडरिक कार्बोहाईड्रेट्स लिमिटेड ग्राम नांगला मेरठ रोड, करनाल, हरियाणा–132001
4. गुडरिक कार्बोहाईड्रेट्स लिमिटेड 203–204 विकास टावर प्लॉट नंबर 6 सेक्टर–8 रोहिणी दिल्ली नार्थ दिल्ली

–अभियुक्तगण

जुर्म अन्तर्गत एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii)

निर्णय

दिनांक–11.09.2019

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री वेदप्रकाश पूर्विया, खाद्य सुरक्षा अधिकारी (आवेदक) ने अन्तर्गत एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक दिनांक– 27.08.2015 को समय 3:30 पी0एम0 पर मैसर्स बजाज एन्टरप्राईजेज, बजाज भवन कचहरी रोड, गंगापुर सिटी, जिला सवाई माधोपुर पर स्थित है, पर पहुँचा। वहॉ पर किरोड़ीलाल बजाज पुत्र श्री बद्रीलाल महाजन, जाति महाजन निवासी बजाज भवन कचहरी रोड, गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर (मालिक) उपस्थित था। आवेदक ने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया। आवेदक द्वारा विक्रेता से खाद्य रजिस्ट्रेशन/खाद्य अनुज्ञा पत्र की प्रति मांगी। विक्रेता ने मौके पर खाद्य रजिस्ट्रेशन पत्र /अनुज्ञा पत्र मौके पर नहीं होना बताया। तत्पश्चात् विक्रेता की उपस्थिति में दुकान का निरीक्षण किया। दुकान में विक्रय हेतु प्रदर्शित खाद्य पदार्थ इन्स्टेंट टी कॉफी क्रीमर (मिल्क बेल) के 500 ग्राम के 25 टीन पैक में दुकान में रखा था। इसके मानक स्तर का नहीं होने का शक होने पर नमूना वास्ते जॉच हेतु लेने की सूचना फार्म नंबर 5 ए की प्रति गवाह की उपस्थिति में तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली, जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य पदार्थ इन्स्टेंट टी कॉफी

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी (स०मा०)

क्रीमर (मिल्क बेल) के 500 ग्राम 4 टीन पैक वास्ते नमूना जॉच हेतु क्रय राशि नकदी चुकाकर प्राप्त किये। खरीदे गये खाद्य पदार्थ इन्स्टेंट टी कॉफी क्रीमर (मिल्क बेल) को को चार बराबर भागों में बॉटकर चार डिब्बों में रखकर अच्छी तरह से बंद किया तथा आवेदक द्वारा चार लेबल तैयार किये गये, नमूने का विवरण अभिहित अधिकारी, सवाई माधोपुर से प्राप्त पेपर स्लिप क्रमांक–एच 691 पर अंकित कर प्रत्येक नमूना भाग पर एक–एक लेबल चिपकाया गया। नमूनों को सीलबन्द कर गवाहों के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर आवेदक ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढ़कर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करवाये गये। नमूने की सभी औपचारिकताऐं पूर्ण कर उक्त नमूना सील्ड लिफाफे में खाद्य विश्लेषक जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी0ओ0 एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सवाई माधोपुर के पत्र क्रमांक–एफएसएसए/2015/3133 दिनांक–29.10.2015 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या–एलएस/2141/एक्ट/2015/1518 दिनांक–19.10.2015 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ इन्स्टेंट टी कॉफी क्रीमर (मिल्क बेल) मिसब्राण्डेड पाया गया है। आवेदक द्वारा प्रकरण के समस्त दस्तावेज अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सवाई माधोपुर को जमा करवाये गये। जिस पर कार्यालय के पत्रांक–एफएसएसए/2016/702 दिनांक 03.03.2016 के द्वारा आवेदक को इस केस में न्यायनिर्णयन आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया है। आवेदन पत्र में अंकित किया गया है कि इस प्रकार अभियुक्त ने खाद्य पदार्थ इन्स्टेंट टी कॉफी क्रीमर (मिल्क बेल) के 500 ग्राम का निर्माण व विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 में जुर्माने योग्य अपराध है। अतः अभियुक्त पर अधिकतम जुर्माना लगाया जाए ताकि आमजनता को सुरक्षित खाद्य उपलब्ध कराया जा सके।

न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्त को जरिये सम्मन तलब किया गया।

अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत जवाब में अंकित किया गया है कि प्रकरण में सेम्पलिंग की कार्यवाही व प्रकरण पेश करने में नियमानुसार कार्यवाही नहीं की गयी है। दिनांक 04.03.2015 को श्री वेदप्रकाश पूर्विया को खाद्य सुरक्षा अधिकारी के रूप में कार्य करने का विधिक रूप से कोई अधिकार नहीं था। लिया गया सेम्पल अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा एनालिस किया गया है। एफ.एस.एस.एक्ट एवं रूल्स की पालना नहीं किये जाने के कारण प्रकरण काबिले खारिज है। परिवादी व प्रकरण से संबंधित गवाहों से

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर (राज०)

जिरह के बिना न्यायालय के समक्ष वास्तविक स्थिति आना संभव नहीं है। इसलिए परिवादी व उसके गवाहान से जिरह की अनुमति दिया जाना आवश्यक है। अतः जवाब नोटिस पेश कर निवेदन है कि प्रकरण में कार्यवाही समाप्त करने की कृपा करें।

बहस वकील अभियुक्तगण सुनी गई।

वकील अभियुक्तगण ने अपने जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कहा कि यह उसका प्रथम अपराध है। प्रार्थी ने जानबूझकर कोई अपराध नहीं किया है। भविष्य में वह इसका विशेष ध्यान रखेगा एवं गलतियों का दोहरान नहीं करेगा। इसलिए इस अपराध के लिए उनको माफ किया जावे या कम से कम आर्थिक दण्ड देकर प्रकरण का निस्तारण किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। दौराने निरीक्षण अभियुक्तगण के यहॉ विक्रय हेतु प्रदर्शित खाद्य पदार्थ इन्स्टेंट टी कॉफी क्रीमर (मिल्क बेल) के 500 ग्राम का नियमानुसार नमूना लिया गया, जो खाद्य विश्लेषक जयपुर की जॉच रिपोर्ट संख्या–एलएस/2141/एक्ट/2015/1518 दिनांक–19.10.2015 द्वारा मिसब्राण्डेड प्रकृति का पाया गया है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अभियुक्तगण द्वारा जो खाद्य पदार्थ इन्स्टेंट टी कॉफी क्रीमर (मिल्क बेल) के 500 ग्राम विक्रय हेतु अपने यहॉ रखा हुआ था वह मिसब्राण्डेड था। अभियुक्तगण द्वारा मिसब्राण्डेड प्रकृति की खाद्यवस्तु निर्माण व विक्रय करके खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा (ii) का उल्लंघन किया है। अभियुक्तगण द्वारा जवाब में अंकित कथनों के संबंध में कोई स्वतंत्र साक्ष्य पेश नहीं की है। अतः खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 के तहत अभियुक्तगण के द्वारा की गई अनियमितता के लिए अभियुक्तगण को 5,000/– रूपये (अक्षरे पॉच हजार रूपये) की आर्थिक शास्ति राशि से अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है। अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि तीस दिवस की अवधि के भीतर–भीतर जमा करवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी में पेश करें अन्यथा बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को एवं एक प्रति अभियुक्त को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावे। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक से प्रेषित की जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.09.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी